

गौरी बंगम नारायण
ता. - 31/2020

08/1/24

पत्रालयी पेशा हूँ। वकील वकील
अपरिवृत / वकील के प्रवर्धित
के तलबी हेतु शकत तलबना
पेशा नहीं किया है। वकील वकील
के तलबना पेशा करने हेतु
पूर्व में भी निर्दिष्ट किया जा
चुका है। किन्तु न्यायालय के
आदेशों की पालना नहीं की
गई है। आदेशों प्रवर्धित
के तलबी नहीं हूँ है। वकील
वकील के अतिरिक्त शकत तलबने
पेशा नहीं किया है। अतः वकील
का बाद आदेश पर निष्कर्ष
के प्रावधानों के तहत रकार्डों किया
जाता है। पत्रालय के तलबना
होकर नभर से कर दो। वकील
कर दो।

सहायक जलदर
नालकोट जिला-दीसा (राज.)

